

Commr. (Plg) - II 579
Despatch.....
Date.....31/7/2012

(PLG) NO. 968
City NO. 01/8/12
MOST IMMEDIATE

192

Dy. No. 3219/2012 (UDM)-DDIB

भारत सरकार/Government of India

शहरी विकास मंत्रालय / Ministry of Urban Development

निर्माण भवन/Nirman Bhavan

नई दिल्ली/New Delhi

Dated 28th July, 2012

उपाध्यक्ष कार्यालय
डाय. सं. 2017-B
30/7/2012

To

The Vice Chairman, Delhi Development Authority Vikas Sadan, INA, New Delhi	2	OFFICE OF THE DIR (Plg.) MPR/TC, D.D.A. N DELHI-2 Dy. No. L-44 Dated 1/8/12
	4	

Subject:- Regularization of Extensions in existing Building Structures
[Representation of Prashant Vihar Shops & Establishments Assn.]

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of representation
dated 9.7.2012 received from Sh. Vijay Prakash Pandey,
North Delhi Municipal Corporation on the
subject cited above for appropriate action, under intimation to this
Ministry.

Yours faithfully,

(Sunil Kumar)
Under Secretary (DDIB)
Tel.No.23061681

Encl. as above.

विजय प्रकाश पाण्डेय

उपस्थित :

स्थायी समिति

उत्तरी दिल्ली नगर निगम



दूरभाष : फा. : 23228209

नि. : 27853192

मो. : 9717750049

कार्या : कमरा नं. 215, ए-ब्लॉक, द्वितीय तल
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर
नई दिल्ली-110002

VP/06/12/111

क्रमांक :

निवास : ए-11/62, सेक्टर-18

रोहिणी, नई दिल्ली-110085

09/07/2012

दिनांक :

OFFICE OF UDM

Dy. No. 3219

Date 19.7.12

Respected Shri Kamal Nath Ji,

Namaskar,

Subject:- Regularization of Extensions in existing Building Structures

I am forwarding a representation submitted by Prashant Vihar Shops & establishments Association, Delhi 110085 along with attached annexes for your kind consideration and appropriate action.

Thanking You

With regards,

Yours sincerely

(Vijay Prakash Pandey)

Secretary UD

Sh. Kamal Nath Ji,
Hon'ble Minister of Urban Development,
Government of India,
Room No. 104C,
Nirman Bhawan,
New Delhi

Sh. Kamal Nath Ji,
Hon'ble Minister of Urban Development,
Government of India,
Room No. 104C,
Nirman Bhawan,
New Delhi

19/7/12

**PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)**

OFFICE : A-13, PRASHANT VIHAR, DELHI - 110085 PHONE : 011-27568595, 27860488

Ref. No.

Dated 25th June 12

Sh. Vik. Pandey
Dy. Chairman
Standing Committee, Prashant Vihar P.

विषय:— अतिरिक्त निर्माण/अवैध निर्माण के नियमितीकरण से सम्बंधित समस्याओं के निवारण तथा उत्तर दि० न० नि० के आर्थिक सुधार के सम्बन्ध में

महोदय,

हम पुनः आपका ध्यान निम्न समस्या की ओर दिलाना चाहते हैं जो कि भविष्य में एक अत्यन्त गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकती है। वह है भवनों में अतिरिक्त निर्माण/अवैध निर्माण का नियमितीकरण जो कि दिल्ली के नागरिकों तथा व्यापारियों के लिये निश्चित रूप से परेशानी का कारण बन रहा है। इस संबंध में दिनांक 07.09.2006 एवं 22.09.2006 को जारी की गई, अधिसूचना तथा मास्टर प्लान 2021 के द्वारा राहत देने की कोशिश की गई थी, परन्तु वास्तव में यह राहत अब तक केवल लगभग 4000-4500 लोगों तक ही सीमित रही है। जबकि दिल्ली में अवैध निर्माण वाली सम्पतियाँ लाखों की संख्या में हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अवैध निर्माण के नियमितीकरण की योजनाओं को जनता में सही से प्रचारित नहीं किया गया तथा न ही नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल किया गया। परिणाम स्वरूप अब तक अधिकतर सम्पतिधारक अपने अवैध निर्माण को नियमित नहीं करा पाए हैं।

इस विषय में हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिन व्यापारियों को दिनांक 07.09.2006 की अधिसूचना/मास्टर प्लान 2021 के द्वारा मिश्रित/कर्मशियल भू-प्रयोग की अनुमति दी गई है, उनको भी इस अधिसूचना एवं मास्टर प्लान के अनुसार अतिरिक्त निर्माण/संशोधित भवन का नक्शा नियमित कराना आवश्यक है। हमारी जानकारी के अनुसार बहुत कम व्यापारी/नागरिक ही भवन का संशोधित नक्शा नियमित करा पाये हैं क्योंकि नियमितीकरण की प्रक्रिया में कई प्रकार की अड़चने हैं जिन्हें अतिशीघ्र दूर करने की आवश्यकता है।

हम लम्बे समय से लगातार इस विषय में जानकारी लेने का प्रयास करते रहे हैं। कई बार आर.टी.आई. एक्ट के अन्तर्गत आवेदन/अपील भी की गई परन्तु आज तक भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। कई वास्तुकारों से भी जो जानकारी अब तक प्राप्त हुई है, वह भी भ्रमित तथा अधूरी है। जनता में सही व पूरी जानकारी ना होने के कारण भी बहुत कम सम्पतिधारक नियमितीकरण करा पाए हैं।

पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम (कृपया संलग्न पृष्ठ सं. 4.....देखें) से ज्ञात हुआ है कि पिछले दो सालों में (अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2010 तक) दिल्ली में 1906 सम्पत्तियों के अवैध/अतिरिक्त निर्माणों का नियमितीकरण हुआ है जिससे दि०न०नि० को 35 करोड़ रुपये का राजस्व, नियमितीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ यानि एक सम्पत्ति से औसतन 1,83,630/- रुपये प्राप्त हुए। जबकि दिल्ली में (एम.वी.सी.-3 के अनुसार) लगभग 45 लाख सम्पत्तियां हैं जिनमें से वास्तव में लगभग 90 प्रतिशत सम्पत्तियों में कुछ ना कुछ अवैध निर्माण अवश्य है परन्तु फिर भी यदि हम इन सम्पत्तियों में मौजूद अवैध/अतिरिक्त निर्माण की संख्या कम से कम पांच लाख मान ले तो $500000 \times 1,83,630/- = 91815000000/-$ रुपये की धनराशि दिल्ली नगर निगम को प्राप्त हो सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी तथा इससे जनता को सीलिंग एवं तोड़फोड़ से राहत के साथ-साथ दि०न०नि० को भरपूर राजस्व भी मिल सकता है जो कि दिल्ली नगर निगम की योजनाओं तथा राजधानी के विकास को तेज गाति दे सकता है।

इसके लिए दि०न०नि० को नियमितीकरण हेतु एक सरल, उदार एवं स्वयं - आंकलन आधार पर सेल्फ एसेसमेन्ट स्कीम को पुनः लागू करके दिल्ली में मौजूद सभी प्रकार की सम्पत्तियों (रिहायशी, कमर्शियल, डी.डी.ए. मार्किटें, मिश्रित एवं कर्मशियल भू-प्रयोग भवन, औद्योगिक आदि) में मौजूद अवैध/अतिरिक्त निर्माण को सम्बन्धित अधिसूचनाओं एवं मास्टर प्लान 2021 के आधार पर नियमितीकरण की दिशा में एक सार्थक कदम उठाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ मुख्य निम्नलिखित कदम उठाने अति आवश्यक है :-

- (क) नियमितीकरण योजना में सबसे बड़ी समस्या जो अब तक आई है कि नियमितीकरण कराने के लिए एक भवन के प्रत्येक भाग के सभी सम्पत्तिधारकों को संयुक्त रूप से नक्शा जमा कराना पड़ता है जो कि अधिकतर मामलों में व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। अतः जिस प्रकार कनवर्जन शुल्क/पार्किंग शुल्क जमा कराने के लिए सम्पत्तिधारक स्वयं केवल अपने स्वामित्व एवं उपयोग वाले स्थान का ही शुल्क जमा कराता है (उसी के आधार पर दि०न०नि० ने उसे कार्य करने /प्रयोग की इजाजत दी हुई है) उसी प्रकार सम्पत्तिधारक द्वारा केवल अपनी ही सम्पत्ति के (पोरशन वाइज) संशोधित नक्शों एवं नियमितीकरण शुल्क को जमा कराकर स्वयं आंकलन/सेल्फ एसेसमेन्ट द्वारा नियमितीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। हम यहां यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि दि०न०नि० पहले ही प्लोटों के सब-डिवीजन का प्रस्ताव पास कर चुका है। (कृपया संलग्न पृष्ठ सं. 5, 6, 7.....देखें)
- (ख) पूरे भवन/फ्लोर वाइज/कई फ्लोर के स्वामित्व वाली सम्पत्तियों (कृपया संलग्न पृष्ठ सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.....देखें) में मौजूद अवैध/अतिरिक्त निर्माण को स्व-आंकलन/सेल्फ एसेसमेन्ट आधार पर नियमितीकरण की पुनः व्यवस्था होनी चाहिए तथा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाना चाहिए।

- (ग) जोड़ो (दो मिले हुए प्लॉट)/छज्जो वाले मामलों में भी नियमितीकरण हेतु स्व-आंकलन आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए। जोड़ों एवं छज्जो के सम्बन्ध में भी दि०न०नि० प्रस्ताव पास कर चुका है अतः नियमित कालोनियों में भी 1 मीटर तक के छज्जों को भी नियमित किया जाए (यदि आवश्यकता हो तो सम्पत्तिधारक से यह शपथपत्र लिया जा सकता है कि इस सम्बन्ध में भविष्य में जो भी अन्तिम निर्णय होगा सम्पत्तिधारक उसे मानेगा)।
- (घ) नियमितीकरण योजना को सरल एवं उदार किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत जनता की परेशानी को दूर करने हेतु प्रत्येक जोन में एकल खिड़की व्यवस्था हो जिस पर तुरन्त नक्शा तथा नियमितीकरण शुल्क जमा करके हाथो-हाथ नियमितीकरण किया जाए तथा पंजीकृत आर्किटेक्ट से भी नियमितीकरण एवं नक्शा पास कराने की छूट हो जिससे जनता को भ्रष्टाचार से राहत मिले।
- (ङ.) पूरे भवन के साथ-साथ फ्लोरवाइस नक्शे ऑनलाईन पास कराने की तथा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट पंजीकृत आर्किटेक्ट से जारी कराने की व्यवस्था हो जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। (कृपया संलग्न पृष्ठ सं. 3.....) देखें
- (च) इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित अधिसूचनाओं, आदेशों एवं स्व-आंकलन नीति की सरल पुस्तिका बनाई जाए (जिसकी कई बार मांग भी की गई है) तथा जनता में इन योजनाओं का पूर्णतः प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी विवरण वेबसाइट पर भी उपलब्ध हों।
- (छ.) पिछले दिनों दि०न०नि० ने नक्शा पास करने हेतु 100 मीटर एवं इससे बड़े रिहायशी एवं अन्य प्लॉटों के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग बनाना अनिवार्य कर दिया है इसमें कई प्रकार की व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी यह अनिवार्यता 250 मीटर एवं इससे बड़े प्लॉटों के नवनिर्माण पर ही लागू होनी चाहिए तथा 250 मीटर से छोटे प्लॉटों को इससे छूट होनी चाहिए। (संलग्न पृष्ठ सं० 1.....)

अन्त में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उपरोक्त तथ्यों पर विशेष ध्यान देते हुए इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए जिससे जनता को लाभ व राहत के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम की आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार हो तथा दिल्ली का विकास हो।


धन्यवाद

संलग्न :-

प्रति प्रेषित :- (आवश्यक कार्यवाही हेतु)

.....
.....
.....

निवेदक



प्रधान/महासचिव

रिपोर्ट समयबद्ध जारी करने जैसी मांगों को लेकर नार्दन रेलवे मेन्स यूनियन की एक सभा बड़ौदा हाउस स्थित उत्तर रेलवे मुख्यालय में की गई। इसी सभा में यूनियन के नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा-यदि अंतरिम सहत की जल्दी घोषणा नहीं की गई तो कर्मचारी जोरदार राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे।

& JEWELLERY
Learn Gemology
Diamond Grading
Jewellery Designing
Tel-011- 41724700, 9891049735

सार्वजनिक सूचना

दिल्लीवासियों के लिए अवैध निर्माण को नियमित करवाने का सुनहरा अवसर !

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम बनाम कल्याण संस्थान सोशल वेलफेयर एवं अन्य के मामले में दिनांक 16 मार्च, 2007 को दिए गए निर्देशों में दिल्ली नगर निगम को यह अनुमति प्रदान कर दी है कि वह अवैध निर्माण को नियमित करवाने के उन आवेदनों को भी स्वीकार करे जिनमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आवेदन के साथ Non-compoundable deviations को गिराने का शपथ-पत्र न लगा हो। इन निर्देशों के अनुपालन में, दिल्ली नगर निगम ने रिहायशी भू-खंड विकास (Residential Plotted Development) एवं अन्य नियोजित विकास क्षेत्रों में अवैध निर्माण को नियमित करने की योजना प्रारम्भ की है। दिल्लीवासी अपने भवनों में किए गए अवैध निर्माण को उस सीमा तक नियमित करा सकते हैं जिसकी अनुमति मास्टर प्लान-2021 में ग्राउंड कवरेज, एफ.ए.आर. और ऊंचाई से सम्बन्धित भवन नियमों में दी गई है।

दिल्लीवासियों को निम्नलिखित कदम उठाने हैं:

- यह सुनिश्चित करें कि फाइल में निम्नलिखित दस्तावेज लगे हैं -
 - वर्तमान निर्माण के नक्शे के दो सैट जिस पर मालिक व पंजीकृत वास्तुकार के हस्ताक्षर हों।
 - मालिकाना हक के दस्तावेजों की प्रतिलिपि, जो स्वयं सत्यापित हो।
 - भवन-अभियंता द्वारा ढांचे की मजबूती का प्रमाण-पत्र।
 - पंजीकृत वास्तुकार का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि भवन मास्टर प्लान-2021 के भवन-नियमों के अनुरूप है।
 - मालिक का शपथ-पत्र कि अवैध निर्माण, जो अनुमति की सीमा से बाहर है, दो माह की अवधि के भीतर गिरा दिया जाएगा।
 - वर्तमान भवन की फोटो के तीन सैट।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 20.11.2006 की अधिसूचना / मास्टर प्लान-2021 के अंतर्गत जमा कराए जाने वाले Betterment Levy, Additional FAR Charges and Penalty / Compounding Charges / Special Compounding Charges के आकलन का विवरण।
- नक्शे की एक कॉपी बिना साइट इन्स्पेक्शन के तुरन्त ही आवेदक को नियामिकरण की मोहर लगाकर सौंप दी जाएगी।

नियामिकरण के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2007 है।

दिल्ली नगर निगम के पास इस बात का पूरा हक सुरक्षित है कि वह वर्तमान निर्माण को सही अथवा गलत पाए जाने हेतु जांच करे और स्वयं निर्धारण करके जमा कराई राशि यदि कम पायी जाती है तो उसकी वसूली करे।

किसी भी अन्य जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता (भवन) अथवा टाउन हॉल, मुख्यालय के अधिशासी अभियंता-भवन से सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता./-

अतिरिक्त आयुक्त (अभियांत्रिक)

भवन विभाग (मुख्यालय)



दिल्ली नगर निगम

प्रेस एवं सूचना निदेशालय, दि.न.नि. द्वारा जारी

Rs 1199
Dep. 6:30 am, 10:15 am & 2:45 pm (non stop)

IndiGo to
Kolkata
1099*

Rs
Dep. 5:00 am & 3:00 pm

IndiGo to
Hyderabad
1399*

Rs
Dep. 7:00 am & 3:45 pm

IndiGo to
Goa
1299*

Rs
Dep. 3:20 pm

IndiGo to
Chennai
1599*

Rs
Dep. 4:45 am, 7:00 am, 2:45 pm & 3:45 pm (non stop)

IndiGo to
Guwahati
1499*

Rs
Dep. 5:30 am

IndiGo to
Bangalore
1799*

Rs
Dep. 6:45 am & 2:00 pm (non stop)

Book now!
www.goindigo.in

Toll free 1 800 180 38 38
Phone 0 99 10 38 38 38
or call your travel agent.

IndiGo is a subsidiary of Indigo Airline. For more information, visit our website or call our customer care number.

हि-1117-12-4-2007

**Li
a Dil**
से City No.1

किया जा सकता है। डिजाइन्ड
पेश है उस पर स्पेशल रिपोर्ट।

कॉम्प्यूटर



सुमोदेन लेना होगा। भारतीय भूकंप क्षेत्र
भूकंप जोन - चारों में आती है, जोकि दूसरी
जमी तक के रेकॉर्ड के मुताबिक राजधानी
हवाले कई भूकंप आए हैं। दिल्ली-मुंबई
रेलवे में आने वाले दिल्ली-पुणे मार्ग
6.5 के तक की तीव्रता के भूकंप

ही देवार किए गए भूकंप से निपटारा और
अब समेकित रूप से की जाने के सम्भव
है। खतरों को पहचानने के आधार पर, जिसमें
तीव्रता की संभावना, क्षेत्र की भू-आकृति

जिंदी कॉलोनी में
को कहिए
अलविदा

PCI



दिल्ली नगर निगम

सार्वजनिक सूचना

मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के प्रावधानों का मूलतः प्रथम और

द्वितीय तल के मालिकों द्वारा पालन

कई सत्त्वामें ऐसे आवासीय भूखण्ड हैं जिनके तल (प्लोर) पंजीकृत सेल डीड और पावर
ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अलग-अलग व्यक्तियों को बेचे गए हैं। ऐसे मामलों में हमेशा ऐसा
समझ नहीं है कि भवन के सभी तलों को एक साथ नियमित किया जा सके, क्योंकि संभवतया
भवन के सभी मालिक इसे नियमित कराने के लिए एक साथ आगे न आएँ। नियमितीकरण की
सुविधा देने के लिए अब, हर तल के अलग-अलग मालिक दिल्ली नगर निगम में स्व-आकलन
(Self-assessment basis) आधार पर नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अब, अधिकृत कवरज का लाभ अलग-अलग मालिक को मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के
अनुसार प्रत्येक तल पर अनुमत्य भूखण्ड आवरण के अंदर मौजूदा निर्मित (कवर्ड) क्षेत्र के
अनुपात में दिया जाएगा। ये श्रितियाँ (Modalities) मूलतः प्रथम और द्वितीय तल के
नियमितीकरण के अलग-अलग मालिकों पर लागू होंगी।

वर्तमान में तृतीय और इससे ऊपर वाले तलों के नियमितीकरण की अनुमति नहीं है।

प्रक्रिया विधि :

क. आवेदक को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

- (i) तल (तलों) के वर्तमान निर्माण के प्लान, जिन पर प्लेट स्थित है, के दो सेट जो
मालिक और पंजीकृत वास्तुकार से विधिवत हस्ताक्षरित हों।
- (ii) स्वयं सत्यापित स्वामित्व दस्तावेज की प्रति।
- (iii) संरचना अभियंता (Structural Engineer) का संरचना स्थायित्व प्रमाण पत्र
(Structural Stability Certificate)।
- (iv) पंजीकृत वास्तुकार का प्रमाण पत्र कि कुल निर्मित क्षेत्र, जिस पर यह तल बनाया
गया है, मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के अनुसार अनुपातिक रूप से अनुमत्य भवन
आवरण के अंदर है।
- (v) इस आराय का क्षतिपूर्ति बचपत्र कि शीर्षक (Title) अथवा अन्य प्रकार के किसी
विवाद की स्थिति में निगम को कोई हानिमुक्त रखा जायेगा।
- (vi) अलग-अलग कोणों से लिए गए फोटो के तीन सेट।

ख. दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 20.11.2006 के अनुसार
स्व-आकलन आधार पर बेहतर लेवी (Betterment Levy) / अतिरिक्त एफएआर
प्रभार (FAR Charges) और पेनल्टी (Penalty) / चक्रवृद्धि प्रभार (Compounding
Charges) / विशेष चक्रवृद्धि प्रभार (Special Compounding Charges) के
भुगतान हेतु निम्नानुसार गणना करें :

दर रु. प्रति वर्ग मीटर में

	3500/-	1400/-	700/-	490/-
1. नए निर्माण				
2. अधिकृत निर्माण का नियमितीकरण				
(क) स्वीकृत ऊँचाई के अंदर अतिरिक्त कवररेज	4020/-	1610/-	805/-	584/-
(ख) स्वीकृत से ऊपर किन्तु अनुमत्य ऊँचाई के अंदर अतिरिक्त कवररेज (23.7.98 के अनुसार)	4375/-	1750/-	875/-	613/-
(ग) 23.07.1998 के अनुसार अनुमत्य ऊँचाई से ऊपर किन्तु 15 मीटर के अंदर अतिरिक्त कवररेज	4900/-	1960/-	980/-	686/-

ग. नियमितीकरण के लिए प्लान की एक प्रति विधिवत मुहर लगाकर स्थल सत्यापन
(साइट वेरिफिकेशन) किए बिना पुरत ही आवेदक को सौंप दी जाएगी।

तथापि, दिल्ली नगर निगम के पास वर्तमान निर्माण के अनुसार जमा किए गए दस्तावेजों के
चुकी होने का संशय होने और स्व-आकलन के आधार पर गणना की गई राशि में कमी
होने पर उसका पूरा करने का अधिकार सुरक्षित है।

अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए संबंधित जोन के अधिसासी अभियंता (भवन) से
या अधिसासी अभियंता (भवन) मुख्यालय से टाउन हॉल में सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता/-

अतिरिक्त आयुक्त (अभियांत्रिक)

प्रेस एवं सूचना निदेशालय, दि.न.नि. द्वारा जारी

संवाचित करने के लिए तबही सहित तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया था।

रूप से ही राहत मिल सकगी।

म आटोमेटिक ब्रक लगाना।

नए बिल्डिंग बाइलॉज का तोहफा मिलेगा केंद्र से

लोगों को निगम और अन्य निकायों के दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगी निजात

प्रभात कुमार

नई दिल्ली

पुराने पड़ चुके कड़े नियमों/उपनियमों की वजह से राजधानी में मकान बनाने के लिए नक्शा पास करने से लेकर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हासिल करने के लिए आज भी लोगों को निगम व अन्य निकायों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लोगों को इन परेशानियों से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली के लिए नए बिल्डिंग बाइलॉज बनाने पर विचार कर रही है। इसका खुलासा केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में किया है।

न्यायमूर्ति ए. के सीकरी की अध्यक्षता वाली विशेष खंडपीठ के समक्ष सरकार ने राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए नै-सरकारी संयुक्त 'कल्याण संस्थान' की ओर से दखिल जनहित याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए दायर किया है। सरकार ने यह जवाब मकान पूरा होने का प्रमाण-पत्र समय सीमा के भीतर ऑनलाइन दिखे जाने के

दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव के बाबत एक्ट में संशोधन किये जाने के बारे में हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दिया है।

क्या था निगम का प्रस्ताव

दरअसल दिल्ली नगर निगम ने अपने विभाग में बढ़ते अपघात पर लगाम लगाने के लिए मकान का निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर जारी करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करने की इच्छा जताई थी। निगम कर्मचारी मकान की जांच करने के लिए अधिकारियों के मोके पर जाने के आवश्यक प्रावधान को हटाना चाहती है और इसके बदले में कोई भी व्यक्ति अपने मकान का निर्माण पूरा होने के बारे में पंजीकृत ऑफिटेक्ट के हलफनामे के साथ आवेदन करने एक सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया था। इसके लिए निगम ने कहा था कि यह तभी संभव होगा जब केंद्र सरकार कर्मचारी कानून में संशोधन करेगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था।

दिकर्तें दिल्ली की

■ नियमानुसार रियायती इमारतों की ऊंचाई 15 मीटर तक जबकि ज्यादातर दिल्ली में दिखती हैं इससे कहीं ऊंची इमारतें

■ नियम भूतल और इसके ऊपर तीन मंजिलों की इजाजत देते हैं लेकिन दिल्ली में चार-पांच मंजिला इमारतें आम हैं।

■ शहर में प्लाटिंग है पुरानी। मकानों के बंटवारे के बाद मालिक तो बढ़ और बढ़ गए लेकिन बंटी हुई संपत्ति का नक्शा पास नहीं करता निगम

■ प्लॉर परिया-रेशो (फ्लोरआर) की सीमा तो तय है लेकिन इसके अनुपातिक बंटवारे में आती हैं दिकर्तें

■ मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के प्रावधान ज्यादातर इमारतों को ढहाने हैं आपत्तिजनक

कई जगह लगा जाम

नई दिल्ली। राजधानी में गुरुवार सुबह चीनी प्रधानमंत्री के लिए लगे वीआईपी रूट के कारण जाम लग गया। सुबह का वक्त होने के कारण लोग अपने-अपने काम पर जाने के लिए निकले थे, इस दौरान ही राजघाट जाने के लिए चीनी प्रधानमंत्री रूट लगाया गया था। इस कारण लोगों को घंटों जाम में फंसा पड़ा। सुबह करीब 10 बजे से 12 बजे के बीच इंडिया गेट, तिलक मार्ग, रिंग रोड व राजघाट पर लोग जाम में फंसे रहे, जबकि दोपहर दो बजे के बाद शाम तक संसद मार्ग, टॉलस्टायव मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नारायणगढ़ रोड व मंडी हाउस तक जाम लगा रहा। गुरुवार रात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी जाम का सामना करना पड़ा। सात रेसकोर्स पर चीनी प्रधानमंत्री के लिए आयोजित रात्रिभोज में उन्हें पहुंचना था। (का.से.)

17-12-10
दि.गु.सं.



Helpline No.: 098115-70149

बैंक ऑफ बड़
Bank of Baroda

100% financing

DDA HOUSING Scheme

Pay ₹ 4500 for availing finance ₹ 1.50 Lac
₹ 1500 for availing finance of ₹ 0.50 lac

Scheme closes on 24.12.2010

- No extra charges (except stamp duty charge)
- All Branches of Delhi, Gurgaon, Faridabad will remain open on Sunday work upto 6pm on Saturday (18.12.2010)
- Interest will be charged from Closing Date of

Helpline No.

South Delhi : 9717831999, West Delhi : 9810331983,
9711422738, Central Delhi : 9968277676, 981156851
Ghaziabad : 9999318239, Faridabad : 9911399937
All areas : 9958638811, 9250316497, 9971798948,

नगर निगम बढ़ा सकता है टोल टैक्स

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की ओर से टोल टैक्स बढ़ाने का मन बना लिया गया है। नए वित्तीय वर्ष में

नए वित्तीय वर्ष में

BIG BOYS

Watch the Belly D

एक नजर

फांसी लगाकर दी जान

उत्तम नगर इलाके के मोहन गार्डन निवासी फनखत (20) ने गुरुवार की शाम घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए डीडीयू अस्पताल भेजा गया है। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। खुदकुशी के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

खुदकुशी की

उत्तम इलाके में सुनीता (27) ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसकी शव को 1999 में फैलाश के साथ हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सुनीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीडीयू अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

समाज सेवा करेंगे छात्र

अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के छात्र तकनीकी की दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित करने के साथ समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी काम करेंगे। आईआईटी दिल्ली का संगठन एआईईसीईसी दिल्ली विद्यार्थीसंघ के छात्रों के साथ मिलकर समाज सेवा भी करेंगे। इसके तहत छात्रों द्वारा एक हफ्ते का कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा समाज में जागरूकता फैलाई जाएगी। एआईईसीईसी दिल्ली के बैनर तले ये छात्र काम करेंगे।

रेलगाड़ियां विलम्ब

इलाहाबाद के पास एक मलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण दिल्ली को आने वाली दो ट्रेनें से अधिक रेलगाड़ियां 20 घंटे से भी अधिक विलम्ब से चल रही हैं। कोहरे के कारण रेलगाड़ियां पहले से ही विलम्ब से चल रही हैं और मलगाड़ी के पटरी से उतरने से रेल यातायात और बाधित हो गया।

1906 प्रॉपर्टी नियमित 35 करोड़ की कमाई

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली

अवैध निर्माण के बाद तले दबे राजधानी में पिछले दो साल में दिल्ली नगर निगम ने महज 1906 प्रॉपर्टी के मालिकों ने अपने मकान के अवैध निर्माण को नियमित करवाये। निगम ने इन प्रॉपर्टी मालिकों से जुमाना स्वरूप 35 करोड़ से अधिक रकम प्राप्त हुई। इसका खलास दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामा में किया है।

न्यायमूर्ति ए. के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समूह निगम की ओर से अधिवक्ता अजय अरोड़ा व कपिल दत्ता ने बताया कि पिछले दो सालों में (अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2010) नोडल कमेटी के आदेश पर 11347 संपत्तियों को बुक करने सीलिंग व डिमोलिशन की कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 10249 संपत्तियों को अवैध निर्माण के आरोप में बुक की गई है और जांच की जा रही है कि किस प्रकार की कार्रवाई किया जा सकता है। अधिवक्ता अरोड़ा ने हाईकोर्ट को यह भी बताया है कि फरवरी 2009 से अक्टूबर 2010 तक निगम के पास मकान का नक्शा पास कराने के लिए 6863 आवेदन आए और इनमें से 6474 का निपटारा कर

दो प्रॉपर्टी सील 8 में तोड़फोड़

दिल्ली नगर निगम की ओर से गुरुवार को भी राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देते हुए दो प्रॉपर्टी मालिकों को बुक करने का आदेश दिया। इन दो प्रॉपर्टी मालिकों को बुक करने का आदेश नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश पर दिया। नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश पर दो प्रॉपर्टी मालिकों को बुक करने का आदेश दिया। नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश पर दो प्रॉपर्टी मालिकों को बुक करने का आदेश दिया।

दिया गया जबकि अन्य पर निर्णय लिया जाना बाकी था। नगर निगम ने यह अलफनामा राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने के लिए गैर सरकारी संगठन कल्याण संस्थान की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

मामले की सुनवाई चार मार्च को होगी। निगम ने कोर्ट को यह भी बताया कि राजधानी में अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए 1266 हेलपलाइन नम्बर शुरू किया है और इस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकते हैं।

शर्मा जी से पूछो...



प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेन्द्र शर्मा

यदि आपके मन में भी कोई अटपटा सा सवाल आ रहा है तो आप उस सवाल का चटपटा जवाब पाने के लिए अपने प्रश्न शर्मा जी से पूछ सकते हैं हमारा पता है:

शर्मा जी से पूछें

हिन्दुस्तान, 18-20 कस्तूरबा-गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

या ई मेल भेजें:

feedback@livehindustan.com

बीमारी से पं मंजिल से

नई दिल्ली। आर्थिक तंगी व बीमारी 30 वर्षों तक मरीज इस कदर परेशान हो गया कि उसने बुधवार सुबह जीवोप अस्पताल की सातवीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। उसे दस दि पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके दिल का ऑपरेशन हुआ था।

घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। खुदकुशी का परिचार सद्य में है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच आरंभ कर दी है। खुदकुशी करने वाले मरीज नसीम यमुनापुर के कर्दमपुर


राजेश को पीटने के लिए दौड़ी महिला

पुलिस ने किसी तरह रोका, चीख-चीख कर देने लगी गालियां

हिन्दुस्तान

देहरादून/दिल्ली

हरिद्वारी की हद पर करने वाले राजेश के प्रति लोगों में किस कदर गुस्सा है, इस बात का प्रमाण गुरुवार को मिला। लोगों की जुबां पर न सिर्फ उसके लिए बद दुआएं हैं बल्कि मौका मिलने



चार दुकानों से जुटाए सवूत

दिनांक 20.12.2010 से 5 अंक रेलगाड़ियों की संख्या

बेहतर रेल प्रबंधन और यात्री सुविधाओं को और सु रेलगाड़ियों के नम्बर को पाँच अंकों का किया जा रहा है।

दिनांक 20.12.2010 से दुरंतो, राजधानी, शताब्दी, जन साधारण, गरीब रथ, सुपरफास्ट सहित सभी मेल/एक्सप्रेस चार अंक संख्या की शुरुआत में '1' अंक जोड़कर पाँच अंकी उदाहरण के लिए :-

रेलगाड़ी का वर्तमान नंबर	रेलगाड़ी का नाम
2001/2002	गोपाल-नई दिल्ली-गोपाल शताब्दी एक्सप्रेस
2053/2054	हरिद्वार-अमृतसर-हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस
2203/2204	सहरसा-अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एसी एक्सप्रेस
2213/2214	यशवंतपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस
2217/2218	कोचुवेली-चंडीगढ़-कोचुवेली केरला-सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस

उपविभाजित प्लॉटों पर बने मकानों के नक्शे पास करने की तैयारी

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): नई दिल्ली नगर निगम राजधानी दिल्ली में स्थित उपविभाजित प्लॉटों पर बने मकानों के नक्शे पास करने की कवायद शीघ्र शुरू करेगा। इससे दिल्ली के करीब 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

नगर निगम स्थायी समिति की बैठक में आज सदस्यों द्वारा दिल्ली में उपविभाजित प्लॉटों पर बने मकानों के नक्शे पास न करने से लोगों को हो रही परेशानी के निगम को आर्थिक नुकसान होने का भी जवाब उठाए जाने पर अतिरिक्त अभ्युक्त इंजीनियरिंग

नरेश कुमार ने बताया कि ऐसे प्लॉटों पर बने मकानों पर फिलहाल नक्शे पास नहीं किए जा सकते। क्योंकि इनके लिए विशेष भवन उपनियम नहीं बने हैं।

उन्होंने बताया कि आज इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान केन्द्रीय बाहरी विकास मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि इसी साल जून माह के अन्त तक विशेष भवन उपनियम बनाए जाएं जो दिल्ली के नये मास्टर प्लान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप हों।

गाजीपुर बूचड़खाने की जल्दी ही दिक्कतें दूर होंगी : मेहरा : निगमायुक्त केवल सिंह मेहरा ने पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर बूचड़खाने को

विश्वस्तर का बताते हुए आज कहा कि फिलहाल इसको चलाने में आ रही दिक्कतें जल्द ही दूर कर दी जाएंगी।

निगम की स्थायी समिति की यहां बैठक में बूचड़खाने को लेकर विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाये गये सवाल का जवाब देते हुए श्री मेहरा ने कहा कि इसको स्थापित करने में विश्वस्तर की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले निकाली गई निविदा में इसे चलाने में आर्थिक रूप से कुछ दिक्कतें आ रही थीं किंतु अब इन दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठाये गए हैं और जल्दी ही दिल्ली के लोगों को इस बूचड़खाने से बढ़िया गुणवत्ता वाला मांस उपलब्ध होने लगेगा।

AM BOARD, FATEHABAD E NO. 01/2009

ment of Rs. 250/- for works upto Rs. 10.00 lacs and Rs. 1000/- for works undersigned for the following works date & place of receiving & opening will be issued upto 02.06.2009 by 1.30 PM & no tender form will be l. and shall be opened on the same day in New Grain market, Fatehabad so ever may like to be present. to Haryana PWD common schedule ems of works and in case of other

Amount	Time Limit	Date of Tender
1,300/-	3 Months	02.06.09
1,800/-	3 Months	02.06.09
1,600/-	3 Months	02.06.09
7,100/-	3 Months	02.06.09

igs of work can be seen in the office ations given in the detailed notice of enlistment/renewal of enlistment me of Executive Engineer, HSAM h), PWD Irrigation, HUDA, HSIDC, der in HSAMB under a appropriate d enlistment in the Board. form will only be issued to those

ed form shall not be entertained. g bills of the contractors subject to to be summarily rejected. to the requirement of Engineer-in-

ler without assigning any reason. p. societies/unemployed graduate ay, then the tenders will be opened

tificate of authority than progress the magnitude for which they are society authorizing the person for

Rs. 5.00 lacs and for above will be ed. the tune of Rs. 5.00 lacs and three of work which ever occur earlier. of tender forms. unconditional.

submission of tender, failing which be deducted as per instructions of m of the office.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER

नावल्टी सिनेमा की जगह वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को हरी झंडी

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित नावल्टी सिनेमा, मैजेस्टिक और जुबली सिनेमा की तरह अब इतिहास के पन्नों में ओझल हो जायेगा। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने सिनेमा स्थल पर वाणिज्यिक परिसर बनाये जाने को आज मंजूरी दे दी। निगम के इस फैसले का विरोध करते हुए विभिन्न समाज सेवी संगठनों ने आन्दोलन करने का निर्णय लिया है। स्थायी समिति में मंजूर प्रस्ताव के तहत नावल्टी सिनेमा की 1389 वर्ग गज भूमि को 99 वर्षों के लिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए पट्टे पर दिया जायेगा। निगम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाल ही में नावल्टी सिनेमा की भूमि वापस मिली है। प्रस्ताव के तहत परियोजना के एकमुस्त लाइसेंस शुल्क के लिए पांच करोड़ रुपए की राशि के अलावा 15 लाख रुपए वार्षिक शुल्क लिया जायेगा। निगम को तीस वर्ष के दौरान इस जमीन से साढ़े नौ करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होगी। यह परिसर डिजाइन-

बनाओ, अपनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो के आधार पर बनाया जायेगा। परियोजना का ठेका खुली निविदा के आधार पर आवंटित किया जायेगा और बोलीदाता का समाप्त वित्त वर्ष में कारोबार 200 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए।

बोलीदाता पिछले तीन साल से लाभ कमाने वाली कंपनी रही हो। उधर इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के विरोध में स्वयं सेवी संगठनों ने आंदोलन चलाने का फैसला किया है। दिल्ली बचाओ बनाओ समिति के अध्यक्ष संदीप निराला ने समिति के इस फैसले को पुरानी दिल्ली की जनता के साथ ज्यादाती बताते हुए।

बीएलएड क्रेश कोर्स 3 जून से

नई दिल्ली, (मैट्रो): क्या आप दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएलएड पाठ्यक्रम करना चाहते हैं और इसमें दाखिले के लिए महंगी कोचिंग नहीं लेना चाहते तो इस आपकी मदद कर सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (इसू) बीएलएड में दाखिले के इच्छुक छात्रों को सस्ती कोचिंग उपलब्ध करवा रहा है। इसू की ओर से आयोजित बीएलएड क्रेश कोर्स 3 जून से 14 जून तक होगा। यह क्रेश कोर्स इसू आफिस के पीछे स्टडी सेंटर में होगा। इसू उपाध्यक्ष मनोहर नागर ने बताया कि नए छात्रों को निजी कोचिंग सेंटर्स की महंगी कोचिंग से बचाने के लिए इसू ने क्रेश कोर्स शुरू करने का कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि क्रेश कोर्स के माध्यम से नए छात्रों को एनएसयूआई से जोड़ना है। बीएलएड क्रेश कोर्स की फीस 100 से 200 रुपए के बीच होगी।

दिल्ली-गया के बीच स्पेशल ट्रेन

नई दिल्ली, (मैट्रो): रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने दिल्ली-गया के बीच एक विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह विशेष ट्रेन गया से प्रत्येक वीरवार और दिल्ली से प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी।

उत्तर रेलवे प्रवक्ता के मुताबिक गया-दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन प्रत्येक वीरवार को सायं 7.25 गया से चलेगी और अगले दिन 11.50 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। यह विशेष सेवा 21 मई से 26 जून तक जारी रहेगी।



बाल सेवा

महिला एवं बाल वर्ष 2009 के रा बाल सेवा के लि किए जाएंगे जि

- 1) बाल विकास
- 2) बाल सुरक्षा,
- 3) बाल कल्या संस्थानों के पेड रुपये का नकद

इच्छुक व्यक्ति कार्य किया हो, विकास विभाग, आवेदन निदेश 12.06.2009 को

सू.प्र.नि./0258/2009-



बाल

महिला एवं 2009 हेतु तीन प्रदान करने का

“बाल कल्या प्रदान किए जा सर्वश्रेष्ठ कार्य किसी व्यक्ति त प्राप्त करने पर (तीन लाख रुप रु. 1.00 लाख (

राष्ट्रीय रा वाले व्यक्ति/ विभाग, पोर्टा निर्धारित आवे विकास विभाग फार्म उनके प जाने चाहिए।

DIP/260/09-10

पो

अतिरिक्त निर्माण को रेग्युलर करने की कवायद शुरू

वरिष्ठ संवाददाता ■ नई दिल्ली

एमसीडी ने नए मास्टर प्लान के अनुसार, रिहायशी, कमर्सल व इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में बढ़ाए गए अतिरिक्त निर्माण (एफएआर) को तुरंत प्रभाव से रेग्युलर करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बाबत ऐसी प्रॉपर्टी के मालिक एमसीडी के जेनरल कार्यालयों में संपर्क कर एफएआर या नए निर्माण को रेग्युलर करवा सकते हैं। एमसीडी ने उनकी मदद के लिए गाइड लाईस भी तैयार किए हैं। एमसीडी की स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के अनुसार, एफएआर के लिए प्रस्तावित रेड्स केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं। इसके

बाद रिहायशी, कमर्सल व इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के मालिक इस हिस्से को भी नियमित करवा सकते हैं, जिन्हें अब तक अवैध माना जा रहा था। इस बाबत एमसीडी के जेनरल हिंदी कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं कि वे

केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए कन्वर्जन, मिक्सड लैंड यूज व अन्य शर्तों को वसूल कर मामला निपटाएं। विजेंद्र का कहना है कि इस

योजना से दिल्ली के लाखों लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें सीसिंग व तोड़फोड़ की आशंका से छुटकारा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग कमिटी ने जिस प्रॉपर्टी को अवैध व अनियमित करार दिया था, वे रेग्युलर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि मामला सिर्फ एफएआर को रेग्युलर करने का नहीं है। बल्कि मास्टर प्लान के अनुसार, जिस अवैध निर्माण को निश्चित धनराशि लेकर नियमित करने की बात कही गई थी, अब उस प्रॉपर्टी भी रेग्युलर किया जा सकेगा। अब ऐसे नए या अतिरिक्त निर्माण मिक्सड यूज के तहत रेग्युलर हो सकेंगे, जो रिहायशी प्रॉपर्टी में किए गए हैं।



सीसिंग से राहत

एमसीडी के जेनरल कार्यालयों में संपर्क करवा सकते हैं।

एमसीडी के लिए प्रस्तावित रेड्स केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया।

एमसीडी की स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के अनुसार, एफएआर के लिए प्रस्तावित रेड्स केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं। इसके

फिर छाया कोहरा, फिर लेट हुई फ्लाइट्स

स ■ नई दिल्ली : आईजीआई एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से 50 से ज्यादा फ्लाइट्स 20 मिनट से लेकर चार घंटे तक की देरी से आई और गई। एक इंटरनेशनल फ्लाइट का मार्ग बदला गया और एक को कैंसल किया गया।

एयरपोर्ट सुर्जे के पुताबिक, रनवे पर कोहरे का असर रविवार रात करीब 11:30 बजे दिखाई देना शुरू हो गया था। करीब डेढ़ घंटे बाद दोनों रनवे की विजिबिलिटी काफी कम हो गई और रनवे नंबर-29 पर यह 650 तक आ गई। सोमवार सुबह 10:05 बजे के बाद ही विजिबिलिटी में सुधार आना शुरू हुआ। जिन एयरक्राफ्ट्स में कैट-1, 2, 3ए और 3बी की सुविधा नहीं थी, वे इस दौरान न तो टेकऑफ कर पाई और न ही लैंड। कोहरे की वजह से मस्कट से दिल्ली आने वाली एयरइंडिया की फ्लाइट को जयपुर भेजा गया, जबकि जेट एयरवेज की दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को कैंसल कर दिया गया। इस दौरान 113 फ्लाइट्स को ऑपरेट किया गया।

इसके अलावा, 12 डोमेस्टिक और 7 इंटरनेशनल फ्लाइट के समय में भी बदलाव किया गया। 50 से ज्यादा फ्लाइट्स के लेट होने के अलावा यात्रियों को उनका सामान मिलने में भी देरी हुई।

दो नेपालियों की हत्या, साथी फरार

स ■ समनपुर ब्यदली : राजा विहार की जेजे कुंलोनी में एक मकान से सोमवार सुबह राम प्रसाद (40) और कांचा (22) नाम के दो नेपालियों की लाशें बरामद की गईं। दोनों के शरीर पर चाकू के चार और मारपीट के निशान मौजूद थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। इनके साथ ही रहने वाला इनका एक अन्य नेपाली साथी राजू (22) वारदात के बाद से फरार है। पुलिस को शक है कि सापद उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है।

एक टिकट पर 6 वर्ल्ड हेरिटेज

रिची वर्मा (टीएनएन) ■ नई दिल्ली

पर्वटकों को बहुत जल्द नए साल का तीहफा मिलने वाला है। वर्ल्ड हेरिटेज के तहत आने वाली ऐतिहासिक इमारतों (मॉन्यूमेंट्स) को पर्वटक सिर्फ एक टिकट के जरिए ही देख सकेंगे। यानी अगर आप लाल किल्ले के साथ कुतुब मीनार, हुमायूँ का मकबरा और आगरा में आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी और ताज महल समेत कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक जगह से एक टिकट लेना है और आप उससे

सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बंदोबस्त के लागू होने। रहा तो इसे उन सभी जगहों पर से ज्यादा बल्कि यह प्रस्ताव एएसआई के कल्चरल मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री को संभालने टीएनएन को बताया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर लग कर वक्त न बर्बाद व

इंडियामार्ट.कॉम को इंटेल् कैपिटल से फंड

एनबीटी ■ नई दिल्ली

देश की प्रमुख ऑनलाइन बी2बी मार्केट प्लेस कंपनी इंडियामार्ट.कॉम को इंटेल् कैपिटल से फंडिंग मिली है। इंटेल् कैपिटल दुनिया की प्रमुख वेब कैपिटल कंपनी है। इंडियामार्ट.कॉम भारतीय सप्लायर्स और इंटरनेशनल बायर्स को इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और ट्रेड शो के जरिए करीब लाती है। इंटेल् कॉर्पोरेशन की अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट कंपनी इंटेल्

तीर पर देखा जा रहा है। इस निवेश से बाजार पर कंपनी की पकड़ और मजबूत हो सकेगी और भारत के छोटे और मध्यम उद्योगपतियों का हीसला मजबूत होना तय है। इंटेल् ने दिसंबर 2005 में 25 करोड़ डॉलर का इंटेल् कैपिटल इंडिया टेक्नॉलजी फंड बनाया था। इस फंड का इस्तेमाल भारत की टेक कंपनियों में निवेश के लिए किया जाता है ताकि लोकल स्तर पर टेक्निकल रिसर्च को प्रोत्साहन मिले।

कोश की है की है यह है और महत्व भरों मिलेंगे भाग साउथ कैपिटल

Types
Tribute
Paying homage to the departed soul

UTHAVANI
With profound grief & sorrow we request to inform the sad demise of **Mr. Naresh Kumar Gupta** Husband of **Smt. Radha Devi** on **18/01/09**.
Uthavani will be held on **20/01/09** from **10 AM to 10.30 AM** at **25/30, Kishan Mandir, GS Colony, Delhi-110032**.
In Grief:
Mr. Naresh Kumar Gupta
(Bhai) Maya Devi, (Bhaiji) Ram Narayan Gupta, (Bhai) Sanjay Gupta, (Bhaiji) Sanjay Gupta (Son & Daughter in Law) Anam & Rajni Gupta, (Daughter in Law) Anam & Rajni Gupta (Daughter & Son in Law) Nimal & Rajni Gupta, (Grand Daughter) Nimal & Rajni Gupta.
Balraj Electric Co. 25/30, Kishan Mandir, GS Colony, Delhi-110032

7

एनडीपीएल ने बाढ़ी पालिसियां

नई दिल्ली, (संदेश) : उत्तर और उत्तर-पश्चिम इलाके में बिजली सर्राई कुटने, बाली, तिबो, त्रिबली, कंपनी, पनडोभिएल, ने सोमवार को खेजे उपगोताओं में रहने वाले अग्रज एडवर्टर्ड उपगोता को एक-एक लाख रुपये की 'ग्रीन' पालिसी बांटी। ज्ञात है कि पनडोभिएल ने अपने उपगोताओं के साथ-साथ इस पालिसी की शोषणा छह माह पहले की थी जिसे अग्रज अंशधारीजाना कटायाना गया। एडवर्टीयरल अवस्था के पालिसी एक-एक लाख रुपये की ये वारिध पालिसियां-अब के कालीनियम में नए वाले उपगोताओं को मुफ्त दी जा

अनुषंगी विक्रेताओं/फर्मों से निविदाओं को भर्ना में होकर सैब पर पिनॉक 24.2.09 को 12-अवधि तक आमंत्रित की जाती है। प्रतुली बिजलीउद्योगस्थापना/अमेरिग सोसायटी द्वारा सांघजनिक रूप से निर्मित दायागो/प्रतिनिधियों को उपस्थित 15:30 बजे छोटी जायेगी।

एक निविदाओं हेतु भरोहर राशि
US\$50,000 और सीमांत आय के रूप में
पेय स्वादों के अथवा पेय को बना
करना अनिवार्य है। निविदा के प्रथम भाग
में भरोहर धनराशि तथा द्वितीय भाग में
सम्बन्धित मूल्य निर्दिष्ट होंगे।
प्रोत्साहक के पास सम्पूर्ण निविदा
उत्तरके किसी भी अंश को बिना कोई
परण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने
अधिकार सुरक्षित है।

विद्युत सूचना सं०-TS-46, कार्य का
विवरण- Digital meter 90x96mm.
frequency meter, मात्रा- 04 Nos.,
हार्ड प्रवांशि- 200.00
विद्युत सूचना सं०-TS-47, कार्य का
विवरण-MCB 34x16 Amp. मात्रा- 08
विद्युत सूचना सं०-TS-48, कार्य का
विवरण- MCB 16x6 Amp.,
मात्रा- 08 Nos., हार्ड प्रवांशि- 200.00

सांसाध्यिक 'सूचकां' आवास प्रगतिविधों के लिए अतिरिक्त रूप से आर. के. शर्मा के वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के लिए सूचकां को सही किया किन्तु रूप दिए गए हैं। अनुमति फरक कि व्यावसायिक समुचित (होटलों और पार्किंग स्थानों को छोड़कर) अतिरिक्त रूप से आर. के. शर्मा, दिल्ली एवं ठाकुरजी 1983 तथा 1990 रूप से सूची, परिकल्पना प्रकाशित हैं। वर्ष 2005 रूप से प्रकाशित हैं तथा 2005 रूप से प्रकाशित हैं तथा 2005 रूप से प्रकाशित हैं।

मौलिना एक प्र.प्र. भार. की द. में
दक्षिण एवं दक्षिण में 20 हजार 590
उत्तरी एवं पश्चिमी तथा दक्षिणी में 14
हजार 240 कुप्र. होता है 5750 सप्ताह
दिनों में अथवा एक दिन के सात दिनां.
अन्तर्गत के सात भागों में विभक्त है.
एक प्र.प्र. भार. की द. में दक्षिणी
एवं दक्षिण में 29 हजार 528 सप्ताह उत्तरी,
पश्चिमी एवं दक्षिणी में 13 हजार
सात सप्ताह में 9691 सप्ताह होते हैं.

अनुपरी डेकेदारों, जनों से निवृत्तों दो
भागों में लेटर पैक पर दिनांक 22.1.09
को, 15 बजे तक अनुपरी की बाती है।
दो डरी लि अर्थोअसधारक/मनोत
अधिकारी द्वारा सावधानिक रूप से
निमिषदा दाताओं/प्रतिनिधियों की
प्राप्तित्व में 15.30 बजे छोली जायेगी।

[illegible]

सौर सेक वाली समितियों पर 486 रूप
तथा इससे बड़ी समितियों पर 980 रूप
प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क अदा
करना होगा। श्री जितेन्द्र गुप्ता ने
मुआविक विधायी समितियों के माध्यम
में जिनमें वसुंधरा समिति है
अतिरिक्त कार्यकर्ताओं को भी समितियों
अधीन रखने का प्रस्ताव पेश किया।

किन्तु अनुसूचित जातों के अन्दर
आधिकांश जातीय हट्ट रह पाए गए
अभिरिक्त, अनुसूचित (१.१) के
परिणामस्वरूप अनुसूचित जातों
नाणित्यिक क्षेत्रों के लिए प्राधान्य का
उपयोग आदि के लिए प्रयोग की
की

मौ. आलापन रु. 4375 रूप्य प्रति वर्ग मीटर, सी. एवं जी. प्रेणी कालाशिया में 1750 रूप्य प्रति वर्ग मीटर, शृंगार एवं जी. प्रेणी की कालाशिया में 50 रूप्य मीटर तक वाली समोसा में प्र. 613 रूप्य प्रति वर्ग मीटर, 'म' इनसे अधिक बड़ी समोसियों के लिए 875 रूप्य प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क देना होगा। श्री रायना ने इसका विरोध किया।

को एक ए. मा. प्रधा. के अलावा मिश्रित भूमि उपयोग प्रधा. का भुगतान करना होगा। श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अलोट की गयी

डहिल सहित 25 वरिष्ठ प्राध्यापकों याचिका दायर कर कहा है कि सरकार अपने मार्च 2007 फैसले के अंतर्गत भी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों आभाव के कारण प्राध्यापकों की पानवृत्त की आयु 62 वर्ष से 65 कर दी जा सकती है।

[illegible][illegible]

रूप प्रति वग मोटर, ई एफ. एच. वी. अर्णी को जालियाँ के 50 वग मोटर एक को सामर्थ्यो पर 613 रूप प्रति वग मोटर, 50 वग मोटर से अधिक की सामर्थ्यो पर 875 रूप, 23 जुलाई 1998 के अनुसार अनुमति जर्ज से अधिक लेकिन 15 मोटर के आदर अतिरिक्त क्वोर हेतु ए व. वी. अर्णी

कालोनियों में 4900 रुपए प्रति वर्ग मीटर, स्त्री. एवं बाल. श्रेणी कालोनियों में 1960 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ई. एफ. एवं स्त्री. श्रेणी कालोनियों में 50 वर्ग

नहीं दिल्ली, (विधि संवाददाता):
 आर्द (इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ
 गैलोपी) के प्रायापकों ने दिल्ली
 च न्यायालय में शुद्धर लागाई कि
 नको संयोजित की आयु अत्य उच्च
 शिक संस्थानों की तरह 62 वर्ष की
 प, स्थायुति केला गंभीर ने

अविद्युत्प्रवाह का प्रयोग करने के लिए एक सर्किट तैयार करें। इस सर्किट में एक बल्ब, एक बैटरी, एक स्विच और एक एम्पेयरमीटर शामिल करें। सर्किट को तैयार करने के बाद, स्विच को चलाएं और एम्पेयरमीटर की पढ़ाई करें।

निद्रास्थिति करने हेतु पालक भी संयत्न करके देते हैं। नये निमेषक के लिए ए. ए. ए. की श्रेणी की माद्योनियों में 45000 से 50000 ए. ए. ए. की मात्रा चाहिए जो एक ही समय में कोशिकास्थिति में 1400 से 1500 प्रति मातृ कोशिका में एक ए. ए. ए. की श्रेणी की

कोलाहल में सै-50 बसे माइटर से आग
के आकार वाली सैम्पलियाँ के लिए
7000 इन्चु, इसका ठूँला जो कोलोनीया
के लिए 150' लार्ग यीटर इन्च वाली
सैम्पलियाँ के लिए 400 इन्च प्रति वर्ग
यीटर, कमधिक व. निर्माणों के
नियामकीकरण हेतु, ए. व. जी. प्रोप्री की
क्रावोनिजों से 4050 इन्च प्रति वर्ग

मौद्रिक, सा. उ. की. श्रेणी की कालागिनियाँ में 1610 रुपए प्रति बॉन मीटर, ई. एक. एवं जी. श्रेणी की कालागिनियों में 50 ब्रॉन मीटर तक वाली सम्यक्ता पर 564 रुपए

के अनुकूल बड़े हुए परन्तु आर. लाभ सम्पत्ति याविकों को देने का निर्णय दिया है। अभी-भीय आनुकूल निर्देश दिए गए हैं कि विवासायिक, औद्योगिक एवं संस्थागत क्षेत्रों में सम्पत्तियों को नये यास्टर एक्ट के अनुकूल बड़े हुए एक्ट पर आर.

अनुसार जनार्दन, मिर्झा और युव एवम् अन्य शुल्क ग्राहक को नियमित करें।

निगम स्यार्ह-समिति अध्यक्ष विवेचन शर्ती ने आग्रह प्रभा बताया कि दिल्ली के अस्थिति मिलिक नये भास्तर स्थान के अनुभव करें एक ए.आ. के विस्तार से शुल्क जमा कराकर अपनी स्थिति

निम्नलिखित उक्त संभवते हैं ॥ ऐसे सम्पत्ति का धारकों का मार्ग दर्शन करने हेतु निवास को आप से निरोध व्यवस्था की गयी है। उल्लेखित कहा कि निवास की रस योजना से ऐसे लाखों नागरिकों को लाभ पहुँचाना जो पिटारा, कनगरिंगल, औद्योगिक एवं सम्पत्ति क्षेत्रों में स्थित इसकी अपनी सम्पत्तियाँ हैं।

एफ. ए. आर. के अनुसार विद्यमित्र कराना चाहते हैं। इन लोगों पर काफी समय से उनके निर्माण पर सीसिंग का निर्भर करी

सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने के लिए याचिका

न दिल्ली, (विधि संवाददाता): आईआईटी (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) के प्राध्यापकों ने दिल्ली न्यायालय में गृहसूत्र लगाई कि उनकी सेवाविशुद्ध की आयु अन्य उच्च शिक्षक संस्थानों की तरह 62 वर्ष की होगी। न्यायाधि कैप्टन गंभीर ने गाइडिल सहित 25 वरिष्ठ प्राध्यापकों ने याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने अपने वर्ष 2007 फैसले के अनुसार सभी उच्च शिक्षक संस्थानों में शिक्षकों के आभाव के कारण प्राध्यापकों की सेवाविशुद्ध की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष की बढ़ा दी थी लेकिन बाद में याचिका

PASSPORT Facilities of same add change tathal seva new renewal ECNR/PCC at your door step. V. S. Tour# 0838038/39, 9813754419.

MA, B.Ed LLB(OU) working Father: Retd. GM BHEL. Contact M: 9668967697 Email: cgaars@yahoo.co.in BHP must. Subcaste no bar.

MUSLIM

SUITABLE match for Sun al muslim Shaikh 27/5/3 girl MBBS from Nepal Preparing for M.C.I Contact: 09997486168, 09412644722 Email: neversay dearmam@gmail.com

Booking an ad never got so easy!



Authorised Times Space Centers You can now book your classified ads at any of our Authorised Times Space Centers as listed below:

FARIDABAD: B.K. Chowk : R. K. Advertising ☎: 0129-4033253, 9810456253 Ballabgarh: DGS Media ☎: 9810688237, 9810549048 Kalyan Singh Chowk : BSS Advertising & Marketing ☎: 9818078183, 9811502088 Noolam Flyover: Durga Advertising ☎: 9811195834 NIT: Rikka Ads ☎: 0129-2429890, 9350309890 Sector 15: Pulse Advertising Solutions ☎: 9810462255, 4022255 Sector 31: Karan Advertising & Marketing ☎: 9810318205, 0129-4151205

SHAZIABAD: Ambedkar Road: Universal Advertising ☎: 0120-2798518, 9312364247 Gobindpuram: Prince Publicity ☎: 0120-2764012, 9868457701 Hapur More: Tirupati Balaji Advertising & Marketing ☎: 9871895198, 9310522380 Vaidhyan Khand/ Indirapuram: Shree Advertising ☎: 9213270050, 9818902981 Sahilabad: Media Mantra Advertising ☎: 9560211002, 0120-3018902 Vaishali: Green Channel Communication ☎: 9899721820, 9310321820, Prachar Sewa Kendra ☎: 9818857715, 0120-2772275

GURGAON: Civil Lines: Shanti Advertising Agency ☎: 9811685522 DLF City : Bhavya Enterprises ☎: 0124-4059245, 9958584466 Palam Vihar: Oasis Advertising ☎: 0124-4064901, 9811929792 Sadar Bazar: Bansal & Co. ☎: 0124-2329442, 9818957999 Sector 14: Fortune Ads & Comm. ☎: 0124-4082252, 9810083817 Shushant Lok: Ad-Edge ☎: 9311779792, 9811779792 Signature Tower South City-I: Adonix Advertising ☎: 9810366113, 4257450 Sohna Road: Shrivastava Advertising ☎: 9810834415

NOIDA: Film City: Bharat International, ☎: 0120-3918954, 9811771711 Greater Noida: Media Network, ☎: 0120-4291029, 9310919359 S.S. Advertisers ☎: 9810792253 Sector 22: N.K. Communications & Marketing ☎: 0120-4548859, 9810425581 Sec 27/Alta Mkt.: Aashirwad Media Associates ☎: 9891371063, 9312541624 Sec - 29, RDX Advertising ☎: 0120-2453602, 9810662089 Sec. 31: The Sai Media ☎: 0120-4216117, 9810506092 Sector 34 : Bottomline Advertising ☎: 0120-4311221, 9810611221

BAHADUR GARH: Shyamji Complex: Rohini Advertising ☎: 9560715566, 9138155972

KARNAL: Club Market: Grover advertising agency ☎: 0184-4044026, 98966694026

PANIPAT: Gokhale Road: Royal Advertising ☎: 92151-40800 Om Ad Agency ☎: 9729302332, 9467725177

SONEPAT: Geeta Bhawan Chowk: Girish Advertising Agency ☎: 9896333534, 9215333534 Railway Road: Sethi ad. Agency ☎: 98963399025

MEEHAT: Prominent Communication ☎: Ptc: 0121-2523498, 0121-2403151 Kumla Advertising ☎: 4023820 09818373200 R.R. Classifieds ☎: 0121-2641336, 2401294, 09412203620 Shivam Enterprises ☎: 9720004668, 9412206844, 0121-2648464 Singhal Advertising ☎: 0121-2660066, 2665166, 9837168466 Chhabra Advertising ☎: 0121-2662558 Mob: 9897062558

MODI NAGAR: The New Generations Group ☎: 9637491271

For any TSC Enquiry or to avail the Agency Booking System facility for booking classifieds advertisements from your office please call : Subhadrata : 9871461442, Ramit : 9810735151, or 011-23302335, 23492074 or e-mail to subhadrata.bhardhan@timesgroup.com for booking online login to www.ads2book.com

TIMESCLASSIFIEDS

दो चोपित करने से रोककर दिल्ली वालों को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी का कहना है कि उस वक़्त डीईआरसी बिजली की दरें कम करने आ रही थीं लेकिन ऐन मौके पर दिल्ली सरकार ने उसे रोक दिया।

कहा नई दरों की घोषणा नहीं की गई दिल्ली वालों को नुकसान हुआ

अब अर्धरात्रि जनरल ने ही कह दिया है कि दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी।

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और विपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने अलग-अलग बयानों में ही है कि दिल्ली सरकार की इस हरकत

3-12-10

कुछ ले-देकर ही क्यों बन पाता है मकान सरकार के नियम कायदे भी जिम्मेदार

राजेश्वर दयाल ॥ नई दिल्ली

राजधानी में आखिर अवैध निर्माण को बढ़ावा क्यों मिल रहा है और क्या कारण है कि लोगों को नक्शा पास करने के लिए सालों धक्के खाने पड़ते हैं और आखिर में ले-देकर ही अपना मकान बनवाना पड़ता है। असल में इसके लिए नया मास्टर प्लान तो दोषी है ही, एमसीडी का पुराना बिल्टिंग बयलॉज भी लोगों को नक्शा पास करवाने में रोड़ा अटक रहा है। इन दोनों में बदलाव संभव है, लेकिन एमसीडी अधिकारी इसके लिए पहल नहीं करते ताकि भ्रष्टाचार जारी रहे।

इस मामले में एमसीडी के टाउन प्लानिंग विभाग और विधि विभाग को हमेशा कटघर में खड़ा किया जाता रहा है।

नए मास्टर प्लान से ज़दी मुश्किलें राजधानी में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का नक्शा पास करने या उसे नियमित करने का अधिकार एमसीडी के पास है। एमसीडी के पास यह भी अधिकार है कि वह नए मास्टर प्लान के प्रावधानों को लागू करे, ताकि दिल्ली का सही तरह से स्ट्रक्चरल विकास हो सके। लेकिन एमसीडी के बिल्टिंग बयलॉज और मास्टर प्लान के कुछ नियम इतने दुरुह हैं कि नक्शा पास करवाना किसी बड़े युद्ध को जीतना है। पहले मास्टर प्लान की बात करें। उसमें यह प्रावधान है कि अगर किसी प्लॉट के दो या उससे अधिक टुकड़े (सब डिविजन) हो जाते हैं तो किसी भी हालत में उसका नक्शा पास नहीं किया जा सकता। अब जिस तरह से परिवार बढ़ रहे हैं या उनमें झगड़े होकर जमीन जायदाद का बंटवारा हो रहा है तो उस जमीन का नक्शा पास न होना ख़ास पेशानी का कारण है।

एमसीडी का बिल्टिंग बयलॉज गड़बड़ अब एमसीडी के बिल्टिंग बयलॉज की बात करें। अगर किसी ने कोई पुराना मकान या जमीन आधिकारिक तौर पर खरीद ली है तो एमसीडी में उसका नक्शा पास करने के लिए उस मकान के पुराने मालिकों की पूरी चेन का दस्तावेज़ एमसीडी का सौंपना होगा या पुराने मालिकों से उसका एनओसी लाना होगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति ने अगर किसी मकान की छत

खरीद ली है तो उसे नीचे बने मकानों के मालिकों से एनओसी लेना होगा, जो काफी पेशानी वाला काम है। एक नियम यह भी है कि हर फ़्लोर का अलग से नक्शा पास कराना होगा। राजधानी में एक नियम यह भी है कि अगर कहीं पुरातत्व महत्व का स्ट्रक्चर है तो उसके आसपास 300 गज के दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता। जबकि इस नियम की खुलेआम धजियां उड़ाई जा रही हैं और एमसीडी के भ्रष्टाचार के कारण ऐसे स्ट्रक्चरों के आसपास स्लम जैसी स्थिति बन गई है। पुरानी दिल्ली, कटवारिया सपर, मुनिरका आदि इलाके इसके उदाहरण हैं।

मास्टर प्लान व बिल्टिंग बयलॉज से ज़ादी है दिल्ली

टाउन प्लानिंग व लॉ डिपार्टमेंट घेरे में इस मामले में एमसीडी के इंजीनियरिंग विभाग के आला अधिकारी अपने ही टाउन प्लानिंग विभाग और विधि विभाग पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हैं। अफसरों का कहना है कि जब तया मास्टर प्लान बन रहा था तो इन विभागों को कहा गया था कि वे सब डिविजन वाले मामले को नए मास्टर प्लान से इच्छापूर्व, लेकिन उसके अफसरों ने वहां कोई पक्ष ही नहीं रखा। जब कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो पुराने मालिकों की चेन का दस्तावेज़ क्यों जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी मकान की छत खरीद लेता है तो उसे नीचे के मकान मालिकों से एनओसी की क्या जरूरत है। अगर ये दोनों विभाग बहुत पहले से एमसीडी के बिल्टिंग बयलॉज को बदलवाने के लिए केंद्र सरकार से गुजारिश करते तो आज ऐसी हालत नहीं होती। इंजीनियरिंग विभाग का यह भी कहना है कि अगर किसी पुरातात्विक महत्व के स्ट्रक्चर के आसपास कोई छोटी-मोटी रिहायशी इमारत बन रही है तो उससे स्ट्रक्चर को क्या नुकसान होने वाला है। इस पक्ष को भी कभी केंद्र सरकार के सामने नहीं रखा गया। विभाग का यह भी कहना है कि राजधानी में हर इलाके का अलग अलग लेआउट प्लान बना हुआ है। लेकिन टाउन प्लानिंग विभाग ने उसे आज तक ऑनलाइन नहीं किया, जिससे लोगों इसका पता नहीं लग पाता। ऐसे में वे एमसीडी इंजीनियरों का कहना मानकर चढ़ावा चढ़ाने पर मजबूर हो जाते हैं।

भियंताओं की सूची तैयार

ऐसे निर्माणों को भी निशाना बना रहा है, जहां अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। बिल्डिंग विभाग के

भाग से बेदखल किया जायेगा : दागी इफोड नहीं कर सकेंगे

अभियंताओं ने ही इमारत बनाने वालों से सांठगांठ कर अवैध निर्माण होने दिया है और अब वे ही इसे तोड़ने में लगे हैं। इस कारण निगम के उच्च अधिकारियों को संदेह है कि ऐसे इंजीनियरों की कार्यप्रणाली को लेकर कहीं लोग न्यायालय में दस्तक न दे दें, अगर मामला

न्यायालय में गया तो निगम खूब खरीखोटी सुनने को मिलेगी। इस कारण दागी इंजीनियरों को बिल्डिंग

विभाग से हटाने का निर्णय लिया गया है। निगम निर्माण समिति के

अध्यक्ष जगदीश ममगाई के अनुसार बिल्डिंग विभाग में ऐसे इंजीनियरों की संख्या करीब 30 है, जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। भ्रष्ट आचरण के कारण किसी इंजीनियर को सीबीआई ने दबोचा है या कोई भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के हथ्थे चढ़ा है। बावजूद इसके मजे से दागी

अभियंता भवन विभाग में जमे हुए हैं। दिल्ली नगर निगम में जप्रतिनिधियों और अन्य लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि दागी अभियंता अपने इलाकों में अवैध निर्माण को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। शिकायतों के मद्देनजर निर्णय लिया गया है कि इन अभियंताओं को तुरंत प्रभाव से वर्क्स, प्लानिंग, सफाई आदि विभागों में भेज दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि जो इमारत अवैध बनना शुरू होती है, उसे शुरूआती दौर में रोक दिया जाए ताकि निगम की छवि साफ हो।

शुल्क लेकर अवैध भवनों को नियमित करने का आदेश दिया

नई दिल्ली, (मैट्रो): दिल्ली नगर निगम अब सब डिवीजन प्लॉट व जोड़ों के नक्शे जल्द से जल्द पास करने व मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत 15 मीटर तक ऊंचे निर्मित भवनों को शुल्क लेकर नियमित करने का कार्य जल्द ही शुरू करेगा। इस बाबत आदेश जारी करते हुए निगम निर्माण समिति के अध्यक्ष जगदीश ममगाई ने कहा कि दिल्ली में एक लाख से अधिक भवन तकनीकी कारणों से नियमित नहीं हैं, जिनके चलते संपत्ति स्वामियों के सिर पर सदैव तलवार लटकी रहती है। ममगाई ने कहा कि दिल्ली में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के मुकाबले आवासीय इकाइयों का अभाव है, इसके लिए सदि निर्मित भवन का ढांचा सुदृढ़ है तो उन्हें शुल्क लेकर नियमित किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम पाले में है। उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी से अपील की है कि इस संबंध में अधिसूचना तुरंत जारी की जाए और अधिक विलंब करने से दिल्लीवासियों को तोड़फोड़ व सीलिंग का सामना करना पड़ सकता है। निर्माण समिति अध्यक्ष ने निगम के भवन विभाग से सभी आपराधिक मामलों में लिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दागी अधिकारियों को हटाने से आम जनता का निगम के प्रति भरोसा बढ़ेगा।

दिल्ली की सुरक्षा के लिए कारगर योजना बनाए जाने की जरूरत : शीला

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और सुरक्षा व्यवस्था का लेकर चिंतित मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने दिल्ली की सुरक्षा को और चाक-चौबंद करने के लिए ठोस कारगर योजना बनाए जाने की बात कही है। साथ ही यहां के महत्वपूर्ण बाजारों, सिनेमाघरों, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर और अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा सके। यह बात आज यहां जर्मन के प्रतिनिधिमंडल से आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तकनीक पर विचार-विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कही। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा से संबंधित उपकरणों एवं तकनीक के लिए दिल्ली सरकार और जर्मनी के बीच आपसी सहयोग एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा इससे आपदा प्रबंधन के दौरान दिल्ली और जर्मनी को लाभ मिलेगा।

प्रतिनिधिमंडल में जर्मनी की सुरक्षा एवं तकनीकी कंपनियों के सीईओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली सचिवालय में हुई इस मुलाकात में आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा संबंधी विषयों पर गहन चर्चा की गई। जर्मनी

प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे फेडरल मिनिस्ट्री आफ इकोनामिक्स एंड टैक्नालोजी के पार्लियामेंट स्टेट सैक्रेटरी अर्नस्ट ब्रूग बैचर ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रतिनिधिमंडल आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपकरणों से संबंधित अहम मुद्दों एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत दौर पर है। प्रतिनिधिमंडल ने भारत के गृह सचिव से मुलाकात कर सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है।

उद्योग भवन में आग लगी

नई दिल्ली, (मैट्रो): सरकारी कार्यालयों में आग लगने की घटनाओं में बीती रात और वृद्धि हो गई। केंद्र सरकार के उद्योग मंत्रालय का कार्यालय उद्योग भवन आग की चपेट में आ गया। भवन के प्रथम तल में लगी आग में कागजात और फर्नीचर जल कर राख हो गया। आग से हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। दमकल विभाग के मुताबिक आग लगने की दूसरी घटना करोलबाग इलाके में लिबर्टी सिनेमा हॉल के पास स्थित एक प्लास्टिक गोदाम की है। चार मंजिला इस भवन में लगी आग को काबू करने में पांच घंटे का समय लगा।

डी.यू. में नुक्कड़ नाटक

नई दिल्ली, (मैट्रो): दिल्ली विश्वविद्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर डूसू की उपाध्यक्ष प्रिया डबास ने बताया कि नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में आत्मा राम सनातन धर्म कालेज ने पहला पुरस्कार जीता और राजधानी कालेज ने द्वितीय पुरस्कार।

इस अवसर पर सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने रक्तदान किया। बाद में वृक्षारोपण भी किया गया।

उत्तर पश्चिम रेलवे

NIT : 28/NIT/Vinyl Wrapping / 10

भारत के राष्ट्रपति की ओर से तीन वर्ष की अवधि के लिए जोधपुर मंडल पर संचालित यात्री गाड़ी सं. 2479/2480, 2466/2465 व 491/492 के सवारी डिब्बों की बाहरी सतह पर विनाइल रेपिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु दो पकट टेन्डर पद्धति के अंतर्गत एक मात्र अधिकार की अनुमति प्रदान करने के लिए गृहबंद लिफाफे में अनुभवी विज्ञापन एजेंसी/स्लाइट से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा सं.	कार्य का नाम एवं स्थान	कार्य की अवधि	अंदाजित मूल्य	बयाना राशि	निविदा फार्म का मूल्य
28	जोधपुर मंडल पर संचालित यात्री गाड़ी सं. 2479/2480, 2466/2465, 491/492 के सवारी डिब्बों की बाहरी सतह पर विनाइल रेपिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु।	तीन वर्ष	Rs. 22,48,640/- (प्रथम वर्ष के लिए)	Rs. 45,000/-	Rs. 3000/-

1. कार्यालय का पता जहाँ से निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है : इच्छुक निविदाकार निविदा फार्म 04.01.2011 तक वाणिज्य शाखा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जोधपुर से किसी भी कार्य दिवस में ब दिनांक 04.01.2011 के 17.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म उत्तर पश्चिम रेलवे की वेबसाइट www.northwesternrailway.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस स्थिति में निविदाकार को निविदा के साथ फार्म की कीमत तथा बयाना राशि के मूल दस्तावेज लगाने होंगे। किना उपयुक्त बयाना राशि, निविदा फार्म की कीमत के दस्तावेज तथा सर्वाट टेंडर (Conditional Tender) अस्वीकार्य है तथा निरस्त करने योग्य होंगे। 2. निविदा प्राप्त करने/खोलने की तिथि एवं समय : निविदा वाणिज्य शाखा, 3.प.रे. जोधपुर में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 05.01.2011 को 15.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी तथा उसी दिन तत्परचाट निविदाकार या उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। यदि निविदा खोलने की तिथि को किसी कार्यवाह अवकाश रहता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को उसी समय खोली जायेगी। 3. वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड जहाँ से निविदा के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है : निविदा के संबंध में पूरी जानकारी वेबसाइट www.northwesternrailway.gov.in से अथवा वाणिज्य शाखा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर के कार्यालय के बाहर लगे नोटिस बोर्ड से प्राप्त की सकती है।

जोधपुर - डिमर - जोधपुर हॉन्ड्रेड म्यूचुअल मरगो गाड़ी जोधपुर से पर्यटन 11.00 (प्रतिदिन), डिमर से पर्यटन 05.15 (प्रतिदिन)।

326/J

करते रहने का संकल्प

जन्म दिवस

करोल बाग युवा कांग्रेस, सरदार



दिल्ली नगर निगम

घुटने के दर्द से परेशान बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। ओखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने घुटना प्रत्यारोपण के लिए सिनेचर विधि का इस्तेमाल शुरू किया है। जो पारंपरिक प्रत्यारोपण विधि से अधिक बेहतर है, क्योंकि इसमें मरीज के घुटनों के आकार का प्रेम् साफ़वेयर द्वारा तैयार होता है जिससे बोन ग्राफ़्टिंग (हड्डियों को घिसने) की जरूरत नहीं होती और प्रत्यारोपण के बाद मरीज बिना दर्द के चल फिर सकता है।

एस के आर्थोपेडिक्स विभाग के डॉ. राजेश कुमार मल्होत्रा ने बताया कि

- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शुरू हुआ सिनेचर विधि से घुटना प्रत्यारोपण
- साफ़वेयर के जरिए तैयार होगा आपके घुटने के नाप का प्रेम्
- निजी अस्पतालों के मुकाबले 30 से 70 हजार रुपये कम

आर्थोपेडिक्स की वजह से यदि घुटने का दो प्रतिशत हिस्सा भी काम करने योग्य नहीं है तो मरीज को प्रत्यारोपण की सलाह दी जा सकती है। सिनेचर तकनीक में घुटने की एमआरआई जांच के बाद

साफ़वेयर के जरिए मरीज की उम्र और घुटने के आकार के अनुसार मेटल का प्रेम् तैयार किया जाता है। इसमें घुटना घुमाने के लिए किसी जेल या कृत्रिम टिश्यू की जगह प्रेम् पर विटामिन ई की कोटिंग की जाती है।

प्रेम् बर्बोक मरीज के साइज का होता है, इसलिए उसे दैनिक काम करने में दर्द नहीं होता। जांच के बाद सर्जरी कर प्रेम् फिट करने में दो सप्ताह तक का समय लगता है। एम्स में सिनेचर प्रत्यारोपण यूएस के न्यूएलबॉय सर्जिकल अस्पताल के ज्वाइंट इम्लांट सर्जन एडल्टफ बीलॉन्गार्ड के सहयोग से शुरू किया गया है।



जोड़ का घुमाव जहाँ प्रत्यारोपण किया गया है घुटने के जोड़ पर बढ़ाया गया सिनेचर प्रेम्

क्यों है पारंपरिक विधि से बेहतर

घुटना प्रत्यारोपण में अब तक इस्तेमाल की जाने वाली विधि में प्रोस्थेसिस विधि प्रयोग की जाती थी, जिसमें क्षतिग्रस्त सेल्स की जगह घुटने में कृत्रिम सेल्स को इंजेक्शन के माध्यम से प्रत्यारोपित किया जाता था इससे महसूस होती थी।

कितना आरामा खर्च

निजी अस्पतालों में उपलब्ध सिनेचर विधि से प्रत्यारोपण में एक से डेढ़ लाख रुपये खर्च होते हैं, जबकि एम्स में विदेशी कंपनी द्वारा भुंया कराया जाने वाले मेटल प्रेम् सहित यह प्रत्यारोपण 70 से 80 हजार रुपये में किया जा सकता है।

एमसीडी ने 100 वर्ग मीटर से ज्यादा और 1000 वर्ग मीटर तक के प्लॉटों के लिए बनाया नियम

घर बनाने के लिए पार्किंग जरूरी

नई दिल्ली | आधुनिक त्रिपाटी

निगम क्षेत्र में घर बनाने के लिए स्टिल्ट पार्किंग का निर्माण करना अब जरूरी होगा। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 100 वर्ग मीटर से ज्यादा और 1000 वर्ग मीटर तक के रिहायशी प्लॉटों पर निर्माण के लिए स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य कर दी है। नई व्यवस्था के तहत स्टिल्ट पार्किंग के प्रावधान के बिना भवन का नक्शा पास नहीं होगा। निगम के मुख्य अभियंता (भवन) की तरफ से इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है।

निर्देश के अनुसार वाहन सड़क या गली में इधर-उधर पार्क नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि रिहायशी परिसर में ही पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए स्टिल्ट पार्किंग

स्टिल्ट पार्किंग

स्टिल्ट पार्किंग यानी प्लॉट के भूतल पर खम्भों के माध्यम से तैयार की गई होल जैसी जगह।

निर्माण को अनिवार्य किया गया है। प्लॉट के आकार के हिसाब से जो ग्राउंड कवरेज बनती है, उसके बराबर पार्किंग बनाने का नियम निगम ने बनाया है। यह नियम रिहायशी प्लॉटों के साथ व्यावसायिक गतिविधियों वाली सड़कों के किनारे बनाए लैंडयूज वाली सड़कों के किनारे जाने वाले घरों पर भी लागू होगा। पहले से हुए निर्माणों को तोड़कर नया निर्माण करने के मामले में भी यह नियम लागू होगा। जिन मकानों का निर्माण पहले से हुआ है उनके लिए इस नियम में अलग

से व्यवस्था की गई है। निर्देश के अनुसार एफएआर (फ्लोर एरिया रेश्यो) के मुताबिक अतिरिक्त निर्माण करने के लिए मालिकों को शपथ पत्र देना होगा कि वाहनों की पार्किंग रिहायशी परिसर के भीतर ही की जाएगी। परिसर के भीतर पार्किंग का इंतजाम नहीं किया जाएगा तो एफएआर के मुताबिक अतिरिक्त निर्माण की अनुमति निगम नहीं देगा।

याद रहे कि कुछ वर्ष पहले भी यह मुद्दा उठा था कि केवल उन भवनों का ही नक्शा स्वीकृत किया जाएगा, जिन मकानों के परिसर में पार्किंग होगी। इस मुद्दे ने काफी तूल भी पकड़ा था, लेकिन राजनीतिक उठापटक में यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना के निर्देश पर दिल्ली नगर निगम ने स्टिल्ट पार्किंग निर्माण को अनिवार्य कर दिया है।

हिन्दुस्तान खास

गतिविधियों वाली सड़कों के किनारे बनाए लैंडयूज वाली सड़कों के किनारे जाने वाले घरों पर भी लागू होगा। पहले से हुए निर्माणों को तोड़कर नया निर्माण करने के मामले में भी यह नियम लागू होगा। जिन मकानों का निर्माण पहले से हुआ है उनके लिए इस नियम में अलग



एमसीआई बोर्ड का हुआ पुनर्गठन

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

स्वास्थ्य मंत्रालय को भरोसे में लिए बाहर फैसेले लेना एमसीआई के बोर्ड ऑफ

हरभजन सिंह तथा सिंबायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे के डॉ. राजीव चिंतामन शामिल हैं। हालांकि इस बातबत जो अध्यक्षदेश सरकार पिछले

गिरी तलवार

मंत्रालय और मंत्री से फुले बागर नीतिगत फैसले लेना एमसीआई

निगम के लिए नया एक्ट

नई दिल्ली। निगम विभाजन पर मंचे बवाल के बीच अब निगम के लिए नया एक्ट तैयार किए जाने की जद्दोजहद तेज हो गई है। इसके लिए दिल्ली के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी के. धर्मराजन की मदद ली जा रही है। इसके जरिये डीएमसी एक्ट के उन पुराने प्रावधानों को बाहर करने की तैयारी है जो अब निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए हैं।

नया एक्ट बनाने के लिए यह तीसरी बैठक थी और इसमें यह तय किया गया कि निगम के पास किस प्रकार की शक्तियां होनी चाहिए। यह कमेटी अब निगम एक्ट के लिए पोलिसी पेपर तैयार करेगी। पहले एमसीडी के पास बिजली, पानी, अग्निशमन, डीटीसी व जमीन जैसे अधिकार थे। लेकिन अब ये अधिकार इसके दायरे बाहर हो गए हैं। विभाजन की स्थिति में निगम की सामाजिक जिम्मेदारी अधिक होती जैसे पेंशन जैसा ही मामला लें तो यह सिर्फ निगम का मसला रह जाएगा।

अपने शहर में

- **जनभावना समाज सुधार समिति:** मां बभलामुखी जयंती समारोह, शिव मंदिर, ई ब्लॉक सिद्धार्थ नगर, प्रातः 10 बजे।
- **ऑल इंडिया फाइव आर्ट्स फ़ास्ट सोसायटी:** चित्र प्रदर्शनी उद्घाटन, गैलरी ऑफ द सोसाय

प्रदर्शन 15 को

नई दिल्ली। बूचड़ खानों के विरोध राष्ट्रवादी जैन मंच के बैनर तले 15 मई को जंतरमंतर पर प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में मंच की तरफ से मंच की जाएगी कि उन में पशुओं के लिए यांत्रिक वधशालाओं को दी 7 अनुमति को रद्द किया जाए।

उत्कृष्ट उत्पादनों का उपयोग करें

नई दिल्ली। मोतीबाग फ्लाईअं पर पीडब्लूडी द्वारा काम किए के मदेनजर शनिवार व रविवार आवागमन बंद रहेगा। यह व्यवस्था बने से सुबह छह बजे चलेगी। इस दौरान वाहन चालकों को फ्लाईओवर से बचने की राह दी है। ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रिंग रोड घौला कुआं से भीकाजी कामा की तरफ किसी भी व्यवसायिक वाहन को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। इन्हें घौला कुआं रोड आउटर रिंग रोड पर वाया गुड रोड डायवर्ट कर दिया जाएगा। सामान्य वाहनों को मोती बाग के फुट तक जाने व वहां से बा तरफ सर्विस रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।